अनुदान संख्या 7 – रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग
GRANT No. 7–DEPARTMENT OF CHEMICALS AND PETRO-CHEMICALS

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
			(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)		
राजस्व:	**Revenue:**				
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	82,72,00	382,72,00	249,84,13	–132,87,87
पूरक	Supplementary	300,00,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				132,75,54
पूंजीगत:	**Capital:**				
स्वीकृत-	Voted–		41,67,00	26,08,00	–15,59,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				15,59,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (13287.87 लाख रु.) दिसंबर, 2004 में प्राप्त किए गए 30000.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 44 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 35 प्रतिशत थीं।

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईः-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.13287.87 lakhs) constituted 44 percent of the supplementary grant of Rs.30000.00 lakhs obtained in December, 2004 and 35 percent of the total sanctioned provision.

Savings occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष ''2552''	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	471.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–471.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
			(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
मुख्य शीर्ष ''2852'' उद्योग	Major Head "2852" Industries				
मू.	O.	7136.00			
पू.	S.	30000.00	24366.40	24354.07	–12.33
पु.	R.	–12769.60			

(I) 473.00 लाख रु. का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 471.00 लाख रु. अकेले मुख्य शीर्ष ''2552'' - ''अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए एकमुश्त प्रावधान'' के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर व्यय को पूरा करने के लिए कार्यात्मक शीर्षों से पुनर्विनियोग द्वारा आंशिक निधियों का उपयोग किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of Rs.473.00 lakhs remained wholly unutilised under two heads; of these Rs.471.00 lakhs alone accounted for under Major Head "2552" – "Other Expenditure - Lumpsum provision for North Eastern Region and Sikkim"– due to utilisation of part funds by re-appropriation to functional heads for meeting expenditure on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) मुख्य शीर्ष ''2852'' - ''रासायनिक और औषधीय उद्योग - रसायन तथा कीटनाशी -भोपाल गैस रिसाव त्रासदी (दावा कार्यवाही) अधिनियम, 1985'' के अंतर्गत 511.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 30000.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 30511.00 लाख रु. कर दिया गया तथापि, जो विनिमय दर में विभिन्नता होने और कार्य योजना के अनुसार मामलों का निपटान न किए जाने और तदनुसार न्यायिक अधिकारियों एवं उनके सहायक स्टाफ के पद को न भरे जाने के कारण 9318.48 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(II) Under Major Head "2852" – "Chemicals and Pharmaceuticals Industries – Chemicals and Pesticides – Bhopal Gas Leak Disaster (Processing of claims) Act, 1985" – the original provision of Rs.511.00 lakhs was augmented to Rs.30511.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.30000.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.9318.48 lakhs – due to variation in exchange rate and non-settlement of cases as per action plan and consequent non-filling up of the post of judicial officers and their supporting staff.

(III) मुख्य शीर्ष ''2852'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत भी हुईं:-

(III) Under Major Head "2852" – savings also occurred under the following heads:-

(का) ''पेट्रो - रसायन उद्योग - अन्य व्यय - केन्द्रीय प्लास्टिक इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी संस्थान'' के अंतर्गत 2844.20 लाख रु. की बचत (3830.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बाह्य सहायता प्राप्त न किए जाने के कारण हुई।

(A) Under "Petro-Chemical Industries – Other Expenditure - Central Institute of Plastics Engineering and Technology" - saving of Rs.2844.20 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3830.00 lakhs) was due to non-receipt of external assistance.

(खा) ''रासायनिक और औषधीय उद्योग - रसायन तथा कीटनाशी'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(क) ''कीटनाशक प्रतिपादन प्रौद्योगिकी संस्थान को अनुदान'' - 299.35 लाख रु. की बचत (573.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रासायनिक हथियार सुविधाओं के प्रतिषेध संबंधी संगठन के लिए विशेषीकृत जनशक्ति प्राप्त करने में कठिनाई होने के कारण हुई।

(ख) ''रसायन संवर्धन और विकास स्कीम'' - 285.39 लाख रु. की बचत (340.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विदेशी कंपनी की बजाय कम लागत पर किसी भारतीय कंपनी द्वारा मेगा रासायनिक परियोजना को स्थापित किए जाने के लिए साध्यता अध्ययन कराए जाने के कारण हुई।

2. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

(B) Under "Chemicals and Pharmaceuticals Industries – Chemicals and Pesticides" – savings occurred under the following heads:-

(a) "Grant to Institute of Pesticides Formulation Technology" – saving of Rs.299.35 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.573.00 lakhs) was due to difficulty in obtaining the specialised manpower for Organisation for Prohibition of Chemical Weapons facilities.

(b) "Chemical Promotion and Development Scheme" – saving of Rs.285.39 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.340.00 lakhs) was due to conducting of feasibility study of setting up of Mega Chemicals project by an Indian Company instead of foreign company at a lesser cost.

2. In the capital section of the grant, savings/ excess occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष ''6857'' रसायन तथा औषध निर्माण उद्योग के लिए कर्ज Major Head "6857" Loans for Chemical and Pharmaceutical Industries				
मू. O.	4116.00	2557.00	2557.00	. .
पु. R.	–1559.00			

(I) 1429.00 लाख रु. का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा, जिसमें से 1427.00 लाख रु. अकेले ''दवा तथा औषध निर्माण उद्योग - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को कर्ज - भारतीय दवा तथा औषध निर्माण लिमिटेड'' के अंतर्गत कंपनी के राजस्व के माध्यम से वेतन व्यय को पूरा किए जाने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of Rs.1429.00 lakhs remained wholly unutilised under two heads; of these Rs.1427.00 lakhs alone accounted for under "Drugs and Pharmaceutical Industries – Loans to Public Sector and Other Undertakings – Indian Drugs and Pharmaceuticals Limited" – due to meeting of salary expenditure through company's revenue.

(II) ''रसायन तथा कीटनाशक उद्योग - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को कर्ज - हिन्दुस्तान जैव रसायन लिमिटेड''

(II) Under "Chemicals and Pesticides Industries – Loans to Public Sector and Other

के अंतर्गत 160.00 लाख रु. की बचत (719.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अंतिम तिमाही के दौरान व्यय पर प्रतिबंध लगाए जाने के कारण हुई।

(III) ''दवा तथा औषध निर्माण उद्योग - सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज'' - हिन्दुस्तान एंटीबायटिक लि.'' के अंतर्गत 216.00 लाख रु. की बचत (943.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उच्चतम न्यायालय में दायर की गई विशेष अवकाश याचिका के कारण महाराष्ट्र एंटीबायटिक फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के कर्मचारियों को सीमांत लाभ की अदायगी न किए जाने के कारण हुई।

3. उपर्युक्त बचतें ''स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड'' के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं - 248.00 लाख रु. का अधिक व्यय (2.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्वैच्छिक पृथक्करण स्कीम के अंतर्गत आई गिरावट को पूरा करने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त प्रावधान किए जाने के कारण हुआ।

Undertakings - Hindustan Organic Chemicals Limited"- saving of Rs.160.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.719.00 lakhs) was due to restriction of expenditure during the last quarter.

(III) Under "Drugs and Pharmaceutical Industries - Loans to Public Sector and Other Undertakings – Hindustan Antibiotics Ltd." – saving of Rs.216.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.943.00 lakhs) was due to non-payment of the terminal benefits to the employees of Maharashtra Antibiotics Pharmaceutical Limited on account of Special Leave Petition filed in the Supreme Court.

3. The above savings were partly offset by excess under "Smith Stanistreet Pharmaceuticals Limited" – excess of Rs.248.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2.00 lakhs) was due to additional provision required for meeting the shortfall in Voluntary Seperation Scheme.